

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. उदयलाल पुत्र प्यारा जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा
1/1 लादुलाल पिता उदयलाल जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं
जिला भीलवाड़ा
1/2 सोसर बाई पत्नी उदयलाल जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं
जिला भीलवाड़ा
1/3 कमला देवी पुत्री उदयलाल जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं
जिला भीलवाड़ा
1/4 बरदी पुत्री उदयलाल जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला
भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. सायरी पत्नी मंगजीराम खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कमली पुत्री मंगजीराम खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नाराणी पुत्री मंगजीराम खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. अण्छी पुत्री मंगजीराम खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. मुन्ना पुत्री मंगजीराम खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. सुन्दर बेवा नाथू जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. चंदा पुत्री रमेशचन्द्र जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. सोनिया पुत्री रमेशचन्द्र खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. सीता पुत्री रमेशचन्द्र जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. प्रेमदेवी पत्नी रमेशचन्द्र खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. नारायणलाल पिता खेमा जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला
भीलवाड़ा
12. सम्पतलाल पिता खेमा जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला
भीलवाड़ा
13. मंजूड़ी पुत्री खेमा जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
14. शंभुड़ी पुत्री खेमा खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
15. झूमा बेवा खेमा जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
16. रामु पत्नी उगमा खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
17. देवा पिता उगमा जी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
18. काना पिता देवी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
19. पूरण पिता देवी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
20. फेफी बेवा देवी खारोल उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
22. उपपंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण


21/3/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

15/2014 हुकम
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(2) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 45/2014 राजस्व वाद
वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन अनुपस्थित - इस वाद में आज
तारीख 21.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक
कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया
है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

प्रार्थना पत्र के साथ अधिवक्ता द्वारा वादी के विधिक वारिसान की ओर से
जारी अधिकार पत्र पेश नहीं किया गया। इस प्रकार दिनांक 06.01.2017 को वादी की
मृत्यु के उपरान्त अधिवक्ता के पैरवी करने के अधिकार समाप्त हो चुके थे। अतः वादी
द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 2 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
को आदेश 9 नियम 5 जाब्ता दीवानी में खारिज किया जाता है।


21/5/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा